अधिसूचनाएँ

नगर विकास प्राधिकरण स्थापित करने संबंधी अधिसूचनाएँ

भोपाल विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश शासन की निम्नांकित अधिसूचना क्रमांक 3344/32/76 दिनांक 15 सितम्बर 1976 द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 अक्टूबर 1976 के पृष्ठ क्रमांक 2903 पर प्रकाशित किया गया है—

"मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1776/1-1-50, तारीख 19 जून, 1974 में यथा विनिर्दिष्ट भोपाल निवेश क्षेत्र के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के लिये तारीख 2 अक्टूबर 1976 से भोपाल नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश शासन की निम्नांकित अधिसूचना क्रमांक: 734/32/77, दिनांक 23 फरवरी 1977 द्वारा उज्जैन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2 दिनांक 22 अप्रैल 1977 के पृष्ठ क्रमांक 237 पर प्रकाशित किया गया है।

"मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भूतपूर्व नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4021 एफ-1/बत्तीस/74 दिनांक 2-2-74 में यथाविनिर्दिष्ट उज्जैन निवेश क्षेत्र के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के लिये दिनांक 25 फरवरी, 1977 से उज्जैन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है।

रायपुर विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश शासन की निम्नांकित अधिसूचना क्रमांक: 1266/1868/बत्तीस/77, दिनांक 7-4-77 द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 2, दिनांक 29-4-77 में प्रकाशित की गई है।

"मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भूतपूर्व नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957-1-90/तेंतीस/73, दिनांक 22 नवम्बर 1973 में यथा विनिर्दिष्ट रायपुर निवेश क्षेत्र के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के लिए दिनांक 15 अप्रैल 1977 से रायपुर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करता है और यह "रायपुर विकास प्राधिकरण" के नाम से जाना जायगा।

इन्दौर विकास प्राधिकरण

'मध्यप्रदेश शासन की निम्नांकित अधिसूचना क्रमांक 1668/बत्तीस/77, दिनांक 9 मई 1977 द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2 दिनांक 12 अगस्त 1977 पृष्ठ क्रमांक 455 पर प्रकाशित किया गया है—

"मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा भूतपूर्व नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 515-एफ-20 तेंतीस-74, दिनांक 13